



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092020-221909
CG-DL-E-23092020-221909

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2891] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2020/आश्विन 1, 1942
No. 2891] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2020/ASVINA 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2020

का.आ. 3239(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
570	166एस	गोवा राज्य में धरगालिम के निकट रारा-66 (पुराना रारा-17) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर वरकोंडा के निकट मोपा हवाई अड्डा (निर्माणाधीन) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

said proposal was submitted to the Ministry for approval of the recommended alignment earlier however the approval of the recommended alignment for the said project was kept in abeyance by the Ministry for declaration of New National Highways.

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का.आ. 3180(अ), दिनांकित 17 सितम्बर 2020 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/4/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2020

S.O. 3239(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
570	166S	The highway starting from its junction with NH-66 (old NH-17) near Dhargalim and terminating at Mopa Airport (under construction) near Varconda in the State of Goa.

Foot Note : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 3180(E), dated 17th September, 2020

[F. No. NH-14012/4/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.